कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन

छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के शासन का पत्र कमांक एफ 2–2/2021/34–1, दिनांक 22.06.2023 एवं वित्त विभाग के जावक कमांक 351 F.सी.एन. 34–0067, दिनांक 21.06.2023 तथा शासन के पत्र क. एफ 2–2/2021/34–1, दिनांक 17.08.2023 द्वारा **हैण्डपंप तकनीशियन (तृतीय श्रेणी) वेतन लेवल–5, रू. 22400–71200 /– के, 188 पद** को सीधी भर्ती से भरे जाने हेतु अनुमति प्राप्त है। इन पदों में सीधी भर्ती के लिये छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, अटल नगर, नवा रायपुर के वेबसाईट vyapam.cgstate.gov.in पर आमंत्रित किये जाते है। हैण्डपंप तकनीशियन के सीधी भर्ती हेतु परीक्षा संबंधित जानकारी छत्तीसगढ़ व्यापम की Website पर उपलब्ध रहेगी।

हैण्डपंप तकनीशियन

क्र.	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या	वेतनमान	विहित शैक्षणिक योग्यता
01	हैण्डपंप तकनीशियन	188	लेवल–5 वेतन 22400–71200	हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण या 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.) से फीटर ट्रेड या मेकेनिकल ट्रेड या मोटर मेकेनिकल ट्रेड, ट्रेक्टर मेकेनिकल ट्रेड, ऑटोमोबाइल मेकेनिक ट्रेड तथा मशीनिष्ट ट्रेड का 2 वर्षीय पाठ्यकम प्रमाणपत्र उत्तीर्ण होना चाहिये। फीटर ट्रेड को प्राथमिकता दी जायेगी।

क्र. 1	कार्यालय का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छ.ग. के महिलाओं के लिये आरक्षित				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से भूतपूर्व सैनिकों के लिये वर्गवार आरक्षित				छ.ग. के स्थानीय निवासी, दिव्यांगजनों (ओएच, एचएच एवं एलसी) के लिये आरक्षित	योग
		अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.		
1.	मंडल रायपुर	16	05	06	05	04	01	01	01	02	0	01	01	02	34
2.	मंडल दुर्ग	17	04	05	04	05	01	01	01	02	0	01	0	02	32
3.	मंडल बिलासपुर	17	08	12	06	05	02	03	01	02	01	01	01	03	46
4.	मंडल अंबिकापुर	07	02	20	05	02	0	06	01	01	0	02	01	03	37
5.	मंडल जगदलपुर	02	01	13	03	0	0	03	0	0	0	01	0	01	20
6.	मंडल कोण्डागांव	01	01	13	03	0	0	03	0	0	0	01	0	01	19
	कुल	**60**	**21**	**69**	**26**	**16**	**4**	**17**	**4**	**7**	**1**	**7**	**3**	**12**	**188**

22/12

सामान्य शर्तेः–

1. आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
2. **विहित शैक्षणिक योग्यता अंतर्गत् फीटर ट्रेड को प्राथमिकता का आशयः–** विहित शैक्षणिक अर्हता अंतर्गत फीटर ट्रेड के अतिरिक्त अन्य विहित ट्रेड धारियो के अंक समान होने की स्थिति में ही मेरिट क्रम में फीटर ट्रेड धारियों को प्राथमिकता दी जावेगी। अपरिहार्य स्थिति में यदि फीटर ट्रेड में समान अंक धारित अभ्यर्थियों के एक से ज्यादा अभ्यर्थी आते है तो इनकी वरीयता सरल क्रमांक–6 अनुसार निर्धारित होगी।
3. 100 पूर्णांक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जायेंगे।
4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग के उम्मीदवार को अपनी जाति संबंधी प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित कर प्रस्तुत करेंगे।
5. दिनांक 01.01.2023 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग एवं महिला उम्मीदवारों के लिये शासन के नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी जावेगी। इसके लिये उन्हें प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य होगा।
6. समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्मतिथि को आधार मानकर वरीयता तय की जावेगी, जिन अभ्यर्थियों की जन्मतिथि पहले होगी उन्हें वरीयता प्रदान की जावेगी। जिन अभ्यर्थियों के अंक एवं आयु समान होंगे उनकी वरीयता अंग्रेजी के वर्णमाला के अनुसार निर्धारित की जायेगी।
7. संपूर्ण प्रतीक्षा सूची सहित चयन सूची परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से एक वर्ष तक के लिये मान्य होगी तथा इस अवधि में नये स्वीकृत पदों पर या किसी भी कारण से हुये रिक्त पदों की भर्ती इस प्रतीक्षा सूची से की जा सकेगी।
8. छत्तीसगढ़ शासन के स्थाई/अस्थाई/वर्कचार्ज या कन्टेन्जेन्सी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मण्डलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम् आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी। यही अधिकतम आयु परियोजना क्रियान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिये भी स्वीकार्य होगी।
9. दिव्यांगता के आरक्षण के लिये दिव्यांगता श्रेणी (ओएच = अस्थि विकलांग, एचएच = श्रवण बाधित एवं एलसी = कुष्ट रोग से उपचारित) ही पात्र होगे। जो कम से कम 40 प्रतिशत संगत दिव्यांगता से ग्रस्त हो, आवेदक को सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग अंतर्गत हैण्डपंप तकनीशियन के लिए निःशक्तता आरक्षण के अंतर्गत पदो पर उपयुक्तता हेतु विभाग के आदेश क्रमांक एफ 2–22/2014/34–1 दिनांक 09.09.2014 से जारी निर्देशो के अनुरूप चयन की कार्यवाही की जावेगी।
10. लिखित परीक्षा आयोजन की सूचना व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, नवा रायपुर के माध्यम से प्रेषित की जावेगी।
11. उक्त पदों पर चयन हेतु एक लिखित परीक्षा छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, नवा रायपुर द्वारा आयोजित की जावेगी। मेरिट सूची तैयार की जावेगी।

12. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर का परिपत्र कमांक एफ 1–1/2017/1–3, दिनांक 29.07.2020 एवं छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर का वित्त निर्देश 21/2020, कमांक 372/260/वि./नि./चार/2020, दिनांक 29.07.2020 के अनुसार संबंधित को छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम 22 सी (1) में शासकीय सेवा में सीधी भर्ती के पद पर 03 वर्ष की परिवीक्षा पर रखे जाने एवं परिवीक्षाधीन अवधि पर नियुक्त सेवक को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में कमशः उस पद के वेतनमान के न्यूनतम 70%, 80% एवं 90% राशि स्टायपेण्ड के रूप में दिया जायेगा, परिवीक्षा अवधि में स्टायपेण्ड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह प्राप्त होंगे।
13. उपरोक्त नियुक्तियॉ एवं चयन प्रकियाओं में आरक्षण छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर के परिपत्र कमांक एफ 13–1/2023/आ.प्र/1–3 दिनांक 03.05.2023 में दिये गये निर्देशानुसार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी.(सी) कमांक 19668/2022 अंतिम आदेश के अध्याधीन रहेगी।
14. महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों एवं दिव्यांगजनों को नियमानुसार आरक्षण प्रदाय होगा।
15. सीधी भर्ती के उल्लेखित पदों की संख्या घटाई/बढाई जा सकती है।
16. नियुक्ति का समस्त अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेंगे।
17. किसी भी विवाद की स्थिति में विभाग का निर्णय सर्वमान्य तथा बंधनकारी होगा।
18. सीधी भर्ती किये गये कर्मचारी का कार्य संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में एक माह का अग्रिम नोटिस देकर सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
19. चयनित उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
20. यह नियुक्ति छत्तीसगढ़ राज्य के लिये है अतः चयनित उम्मीदवारों को रिक्तियों के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी जिले में पदस्थ किया जा सकेगा।
21. चयनित उम्मीदवारों को जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद में ही सेवा में लिया जावेगा।
22. विभाग द्वारा चयनित उम्मीद्वारों का पुलिस व्हेरीफिकेशन शासकीय सेवा योग्य पाये जाने पर ही परीविक्षा अवधि समाप्त की जावेगी। अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही किया जावेगा।
23. व्यापम का दायित्व मात्र परीक्षा आयोजित कर परीक्षा परिणाम के आधार पर मेरिट सूची जारी करने तक सीमित रहेगा। मेरिट के आधार पर चयन/नियुक्ति की प्रकिया विभाग द्वारा की जावेगी।
24. महिलाओ के आरक्षण की गणना छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, के पत्र कमांक एफ 13–2/2014/आ.प्र./1–3 दिनांक 14.07.2017 के अनुसार दशमलव के अंक को मान्य नहीं करते हुये केवल पूर्णांको को लिया गया है।

परीक्षा पाठ्यकम तथा परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन की विधि, परीक्षा शुल्क भुगतान की विधि तथा परीक्षा संचालन संबंधी निर्देश व्यापम की वेबसाइट vyapam.cgstate.gov.in पर देखा जा सकता है।

सहपत्रः– उपरोक्तानुसार।

प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़ नवा रायपुर